महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsubikaner.ac.in

प.07( )मगंसिविबी/विद्या परिषद-17/2018/ दिनांक

विद्या परिषद की 17वीं बैंठक
का कार्यवृत (Minutes)

दिनांक : 21-05-2018 **समय : प्रातः 11:00 बजे**

विद्या परिषद की 17वीं बैठक दिनांक 21-05-2018 को प्रातः 11:00 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के विद्या परिषद सभागार में आयोजित हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	**प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति,**	अध्यक्ष
2	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, संकायाध्यक्ष, विज्ञान	सदस्य
3	डॉ. बेला भनोत, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान	सदस्य
4	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, संकायाध्यक्ष, शिक्षा	सदस्य
5	प्रो. जी.एस. रघुवंशी, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित	सदस्य
6	डॉ. दिग्विजय सिंह, प्रतिनिधि- अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार	सदस्य
7	डॉ. रामसिंह राजावत, राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य
8	डॉ. सुरेन्द्र डी सोनी,राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य
9	डॉ. संतोष राजपुरोहित,राज्य सरकार द्वारा नामित	सदस्य
10	प्रो. राजाराम चोयल, कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
11	डॉ. संध्या जैन - संयोजक, वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
12	डॉ. आर.पी. माथुर संयोजक, रसायनशास्त्र	सदस्य
13	श्रीमती ज्योति लखानी- संयोजक, कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
14	डॉ. सतीश कौशिक -संयोजक, भूगर्भ विज्ञान	सदस्य
15	डॉ. रंजन सक्सेना- संयोजक, गणित	सदस्य
16	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी- संयोजक, सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
17	डॉ. रविन्द्र मंगल - संयोजक, भौतिक विज्ञान	सदस्य
18	डॉ. सुमित्रा चारण - संयोजक, दर्शनशास्त्र	सदस्य
19	डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित - संयोजक, चित्रकला	सदस्य
20	प्रो. एन.एस. राव - संयोजक, इतिहास	सदस्य
21	डॉ. नन्दिता सिंघवी - संयोजक, संस्कृत	सदस्य
22	डॉ. बजरंग सिंह राठौड़ - संयोजक, लोक प्रशासन	सदस्य
23	डॉ. बी.एस.रतन-- सांयोजक, अर्थशास्त्र	सदस्य
24	श्री चतर सिंह डोटासरा - संयोजक,एबीएसटी	सदस्य
25	डॉ एस.एन. शर्मा - संयोजक, ई.ए.एफ.एम.	सदस्य

26 डॉ. रिषभ जैन –संयोजक, संगीत सदस्य
27 डॉ. अभिषेक वशिष्ठ,कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक सदस्य
28 डॉ. जे.एस. खीचड़ – कार्यवाहक कुलसचिव सदस्य सचिव

प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल–संकायाध्यक्ष–कला, डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष–विधि, आयुक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, डॉ. मीरा श्रीवास्तव, संयोजक–प्राणीशास्त्र, डॉ. उमाकान्त गु संयोजक–हिन्दी, डॉ. मोहम्मद हुसैन, संयोजक–उर्दू, श्री श्याम सुन्दर ज्याणी, संयोजक–समाजशा डॉ. आर.सी. श्रीवास्तव, संयोजक–भूगोल, डॉ. अभिलाषा आल्हा, संयोजक–गृह विज्ञान, डॉ. हेम शर्मा, संयोजक–व्यवसायिक प्रशासन सरकारी/निजी कारणों से बैठक में भाग नहीं ले सके।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने विद्या परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया । विशेषक माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य प्रो0 जी.एस. रघुवंशी, अति. मुख्य सचिव, उच शिक्षा, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. दिग्विजय सिंह, राज्य सरकार नामित सदस्य डॉ. रामसिंह राजावत, डॉ. सुरेन्द्र डी. सोनी एवं डॉ. संतोष राजपुरोहित का स्वाग किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि प्रो. राजाराम चोयल आचार्य कुलपति द्वा नामित आचार्य एवं डॉ. अभिषेक वशिष्ठ को कुलपति द्वारा नामित शिक्षक के रूप में विद्या परिष सदस्य मनोनीत किया गया है। इसी प्रकार कुलसचिव पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार शर्मा क कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी होने एवं वित्त नियंत्रक अवकाश पर होने के कारण कार्य व्यवस्था के तह डॉ. जे.एस. खीचड़, उप कुलसचिव आज की बैठक में कार्यवाहक सदस्य सचिव के रूप में उपस्थि है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार म प्रस्तुत किये गए जिन पर सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
1	दिनांक 27–07–2017 को सम्पन्न हुई 16 वीं बैठक का कार्यवृत पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**पुष्टि की गई।**	
2	दिनांक 27–07–2017 को आयोजित 16वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की बिन्दुवार की गई पालना की रिपोर्ट अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**अनुमोदन किया गया। साथ ही पालना के बिन्दु संख्या 13 सर्वश्रेष्ठ शोध करने वाले शोधर्थी को महाराजा गंगा सिंह अवार्ड प्रदान करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को अनुमोदित किया गया।**	
3	**प्रतिवेदित है कि** विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) के प्रावधानुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति की गई। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक

निर्णय :	**पूर्व में पुष्टि होने के कारण उक्त मद को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।**	
4	विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत सत्र 2018–19 के पाठ्यक्रम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है :–	शैक्षणिक
निर्णय :	**सत्र 2018–19 के लिए समस्त विषयों के पाठ्यक्रमों का निम्नलिखित प्रेक्षण के साथ अनुमोदन किया गया :–** ❖ विभिन्न अध्ययन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम कार्यवृत में कम सदस्यों की उपस्थिति पर संज्ञान लेते हुए आगामी सत्र (2019–20) के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अध्ययन मण्डल/सी. ओ.सी. की बैठक में 07 सदस्यों में से न्यूनतम 03 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक रूप सुनिश्चित की जाए। ❖ अनुपस्थिति 03 सदस्यों में न्यूनतम 01 सदस्य से पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लिखित/ई–मेल के माध्यम से सुझाव प्राप्त किये जाए। ❖ अध्ययन मण्डल में संकायाध्यक्ष एवं संयोजक का पृथक् पृथक् मनोनयन किया जाए। ❖ अध्ययन मण्डल द्वारा सत्र 2018–19 के लिए प्रस्तुत पाठ्यक्रम में स्नातक स्तर तृतीय वर्ष में व्याकरणीय त्रुटियों के अतिरिक्त प्रस्तावित कोई भी संशोधन स्वीकार नही किये गए।	शैक्षणिक
5	विश्वविद्यालय विभागों एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए नियमों के अनुमोदन एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश–नीति 2018–19 को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**जिन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है, उनमें प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश नीति–2018–19 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया।**	
6	विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 में 20 नवीन महाविद्यालयों(सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**पुष्टि की गई।**	
7	Bar Council of India के Circular dated 16.12.2016 के परिप्रेक्ष्य में संकायाध्यक्ष– विधि द्वारा विधि महाविद्यालयों को तीन वर्ष की एक साथ अस्थाई सम्बद्धता अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक

निर्णय :	**विद्या परिषद द्वारा विधि महाविद्यालयों को तीन वर्ष की एक साथ सम्बद्धता अभिवृद्धि करने पर सहमति व्यक्त करते हुए आर्डिनेंस में संशोधन के मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार एवं राज्यपाल सचिवालय को भेजने का निर्णय लिया गया।**	
8	समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 07–02–2018 का कार्यवृत विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**कार्यवृत के बिन्दु संख्या 01 को अस्वीकृत करते हुए शेष 04 बिन्दुओं की अनुशंसा स्वीकृत की गई।**	
9	सत्र 2018–19 से विश्वविद्यालय में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही विश्वविद्यालय में विधि विभाग खोलने हेतु विद्या परिषद की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।**	
10	संस्थाओं द्वारा सम्बद्धता आवेदन को वापस लेने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उस आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की एवज में प्रक्रियात्मक शुल्क के निर्धारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 48 के प्रावधानुसार महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	
11	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा एक ही भूमि एवं भवन पर विभिन्न परिषदों से भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रम अथवा महाविद्यालय संचालन करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। ऐसी संस्थाओं की पहचान कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**ऐसे महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाकर अनियमितता पाये जाने पर महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।**	
12	किन्नर समुदाय/शहीदों के आक्षितों एवं विभिन्न गतिविधियों में विशिष्ट असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**किन्नर समुदाय, सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों तथा प्राकृतिक आपदा से ग्रसित परिवार में बचे हुए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त विशिष्ट उपलब्धियों के मानदण्ड निर्धारित करने हेतु समिति गठन एवं समिति द्वारा**	

	प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
13	सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्रदान करने हेतु जारी विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन क्रमांक 1410 दिनांक 26.10.2012 में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा
निर्णय :	**सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्याकंन की उत्तरपुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए परिणाम जारी होने से 30 की अवधि निर्धारित करते हुए नोटिफिकेशन में यथोचित संशोधन करने का निर्णय लिया गया। उक्त संशोधन का समाचार पत्रों में प्रकाशन, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड एवं महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर समुचित प्रचार–प्रसार करने का भी निर्णय लिया गया।**	
14	संकायों के अन्तर्गत संचालित अंतर्विषयक विषयों के निर्धारण के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शोध
निर्णय :	**स्थगित (Defer) किया गया।**	
15 (*)	LL.M. एक वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा में पात्र मानने के सम्बन्ध में विद्या परिषद द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शोध / शैक्षणिक
निर्णय :	**समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को समकक्षता समिति के माध्यम से विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**	
16	विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नियम निर्धारण हेतु समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया।**	
17	विश्वविद्यालय विभागों में प्रवेश हेतु सीटों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**निम्नानुसार सीटों का निर्धारण किया गया :–** **स्नातक – 80 सीट** **स्नातकोत्तर कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय–60 सीट** **स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय – 30 सीट**	
18 (*)	महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं शोध गुणवत्ता, आधाभूत संरचना एवं परिसर की स्वच्छता आदि बिन्दुओं के आधार पर महाविद्यालयों को ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए मापदण्ड निर्धारण किये जाने है। प्रस्ताव विचारार्थ एवं	शैक्षणिक

	निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय :	**प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए IQAC के माध्यम से मानदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।**	
19	विश्वविद्यालय में परीक्षा व्यवस्था, अध्यापन पद्धति एवं शोध में नवाचार, ढांचागत विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं गुणात्मक सुधार हेतु भारत की प्रमुख नामचीन संस्थाओं का अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मण्डल के गठन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्रतिनिधि मण्डल के गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
20	पूर्ण आत्मविश्वास, स्वच्छ, संयमित एवं विनम्र सम्भाषण की कला को छात्रों में विकसित करने हेतु शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली व्यवस्था के निर्धारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं की काउन्सलिंग एवं विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप आयोजित करने का निर्णय लिया गया।**	
21	विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार सृजक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु नवीन पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**विश्वविद्यालय में सत्र 2018–19 से निम्न नवीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया :–** 1. Diploma in Pourohity, Karamakand (One Year) 2. Diploma in Lab Technician/Assistant (DLT/A) (One Year) 3. B.Sc (Yogic Science) (Three Years) 4. M.Sc (Yoga Studies and Therapy Management) (Two years) 5. Postgraduate Diploma in Banking and Finance (PGDBF) (One Year) 6. Postgraduate Diploma in Travel and Tourism Management (PGDTTM) (One Year) 7. Postgraduate Diploma in Nutrition and Dietetics (PGDND) (One Year) **उपरोक्त कोर्सेज के पाठ्यक्रम एवं शुल्क निर्धारण हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
22	विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर परीक्षा में प्रायोगिक विषयों में सम्मिलित होने वाले स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य हेतु दिवस एवं शुल्क के निर्धारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा / शैक्षणिक

निर्णय :	**विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्वयंपाठी परीक्षा के लिए अनुमति प्रदत्त प्रायोगिक विषयों के प्रायोगिक कार्य दिवस एवं शुल्क राज्य सरकार के नियमानुसार ही निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय में कम्प्यूटर एप्लीकेशन विषय स्वयंपाठी छात्र–छात्राओं के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**	
23	स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में आयोजित होने वाली हिन्दी तथा अंग्रेजी की परीक्षा में नवाचार एवं मूल्याकंन में गुणवता हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा/ शैक्षणिक
निर्णय :	**निम्नुसार समिति गठन करने का निर्णय लिया गया :–** **1. संयोजक – अंग्रेजी** **2. संयोजक – हिन्दी** **3. परीक्षा नियंत्रक**	
24	परीक्षा परिणाम में ग्रेस अंक प्रदान करने के लिए तैयार किये गए नियमों का प्रारूप विचारार्थ प्रस्तुत है।	परीक्षा/ शैक्षणिक
निर्णय :	**प्रारूप अनुमोदित किया गया।**	
25	परीक्षा 2017 के अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधि का प्रारूप एवं उसमें निर्धारित सुरक्षा मानदण्ड निर्धारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। साथ ही परीक्षा 2019 के लिए जारी की जाने वाली अंकतालिकाओं के प्रारूप एवं सुरक्षा मानदण्डों के निर्धारण पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।	परीक्षा/ शैक्षणिक/ सामान्य प्रशासन
निर्णय :	**परीक्षा वर्ष 2017 की उपाधि पूर्व में अनुमोदित उपाधि प्रारूप के अनुसार ही मुद्रित कराये जाने का निर्णय लिया गया । साथ ही परीक्षा 2018 के लिए मुद्रित कराई जाने वाली उपाधियों में अभ्यर्थी की फोटों एवं उपाधियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।**	
26	परीक्षा 2017 की विभिन्न कक्षाओं के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों, 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 71 अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान, कुलाधिपति पदक, कुलपति पदक एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**कुलाधिपति पदक, कुलपति पदक, स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्रदान करने हेतु ग्रेस पास किया गया।**	

<table>
<tr><td>27</td><td>विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अधीन "Post Graduate Diploma in Translation" प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</td><td>शैक्षणि
अंग्रेजी वि</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>स्वीकृति प्रदान की गई।</td><td></td></tr>
<tr><td>28</td><td>विश्वविद्यालय में "Centre of Classics and Religious Studies" प्रारम्भ करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।</td><td>शैक्षणिक/
अंग्रेजी विभाग</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>स्थगित (Defer) किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>29</td><td>पीएच.डी. कोर्सवर्क परीक्षा में स्कीम के निर्धारण हेतु संकायाध्यक्ष समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।</td><td>शोध</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>अनुमोदन किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td>रसायनशास्त्र विषय के अभ्यर्थी सुमित घासिया, ओम प्रकाश कास्वा एवं रामस्वरूप रैगर के शोध प्रारूप में परीक्षक द्वारा जांच करने पर नकल प्रकरण पाये जाने पर निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। उक्त छात्रों के विरूद्ध आगामी कार्यवाही करने हेतु प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</td><td>शोध</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>उपरोक्त अभ्यर्थियों के शोध प्रारूप अन्य परीक्षक से पुनः जांच करवाये जाने का निर्णय लिया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>31</td><td>गणित विषय के अभ्यर्थी अजय रंगा एवं भवानी शंकर के शोध प्रारूप में अंकित शीर्षक को परीक्षक की अनुशंसा पर निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है :–
<table>
<tr><td>Name of Scholar</td><td>Title of Topic in Revised Synopsis</td><td>Title of Topic in Registration</td></tr>
<tr><td>Ajay Ranga</td><td>Mathematical Modelling of Diabetes in Rajasthan</td><td>"Statistical Approach to Diabetes in Rajasthan</td></tr>
<tr><td>Bhawani Shankar</td><td>Modelling and Simulation of Asthma in Rajasthan</td><td>"Study of Mathematical Modelling of Asthma in Bikaner (North West)</td></tr>
</table>
विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 124 D(7) के अनुसार पंजीकरण के पश्चात शीर्षक परिवर्तन का प्रावधान नही है। प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</td><td>शोध</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>उपरोक्त अभ्यर्थियों के संशोधित शीर्षक के साथ शोध ग्रंथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>32</td><td>(1)प्रतिवेदित है कि बी.एड. की छात्रा सुमन कुमारी को 5 गुणा विलम्ब शुल्क के साथ ऑफलाईन परीक्षा फार्म भराने की अनुमति विद्या परिषद के निर्णय के अध्याधीन प्रदत्त की गई थी। उक्त निर्णय पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।</td><td>परीक्षा</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>पुष्टि की गई।</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(2) प्रतिवेदित है कि पीएच.डी. कोर्सवर्क का पारिश्रमिक आदेश क्रमांक 1463 दिनांक 02–05–2018 द्वारा निर्धारित किया गया। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।</td><td>शोध</td></tr>
<tr><td>निर्णय :</td><td>पुष्टि की गई।</td><td></td></tr>
</table>

टेबल एजेण्डा

मद संख्या	विवरण	अनुभाग
33	विश्वविद्यालय में सत्र 2018–19 से निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :– 1. **M.C.A. (Master of Computer Application)** 2. **P.G. Diploma In Industrial Biotechnology** 3. **Bechlor in Library and Information Science (BLISc) - (SFS)** 4. **M.A. in Rajasthani - SFS** 5. **Geography B.A./B.Sc (Honours)- SFS** 6. **M.A. Geography - SFS** 7. **M.A. Political Science - SFS** 8. **M.A. Hindi -SFS**	शैक्षणिक
निर्णय :	**उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई। उपरोक्त कोर्सेज के पाठ्यक्रम एवं शुल्क निर्धारण हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
34	विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :– 1. M.A. History (Medieval) 2. M.A. History (Archaeology) 3. M.A. History (Genaeology and Community History)	शैक्षणिक / उपाधि / इतिहास विभाग
निर्णय :	**प्रस्ताव स्वीकार किया गया।**	
35	स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्कूल ऑफ लॉ में संचालित "LL.M." हेतु रू. 16000/– वार्षिक शुल्क एवं "P.G. Diploma in Legal & Forensic Science" हेतु रू. 13000/– वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया था। डायरेक्टर, स्कूल ऑफ लॉ द्वारा उक्त वार्षिक शुल्क में संशोधन करते हुए "LL.M." हेतु रू. 13000/– वार्षिक शुल्क एवं "P.G. Diploma in Legal & Forensic Science" हेतु रू. 10500/– वार्षिक शुल्क निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**प्रस्ताव स्वीकार किया गया।**	
36	छात्र श्याम सुन्दर शर्मा ने जैव तकनीकी विषय में एम.पी.सी.ई.टी. उत्तीर्ण करने के पश्चात् डॉ. सपना त्यागी, प्रचार्य, एम.एन. इस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंस, बीकानेर को शोध पर्यवेक्षक आवंटित किया गया था। उक्त महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित शुल्क रू. 20,000/– में शोध कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त की है। छात्र ने महाविद्यालय द्वारा अत्याधिक शुल्क लेने के कारण आर्थिक स्थिति का	शोध

	हवाला देते हुए शोध पर्यवेक्षक परिवर्तन करने हेतु निवेदन किया है, परन्तु विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में जैव तकनीकी विषय का अन्य शोध पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं है। छात्र के शोध एवं शोध पर्यवेक्षक के सम्बन्ध में निर्णय हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय :	**छात्र को शोध पर्यवेक्षक परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करते हुए शोध पर्यवेक्षक डॉ. सपना त्यागी को शोध पर्यवेक्षण कार्य से मुक्त रखने का निर्णय लिया गया।**	
37	विश्वविद्यालय में CBCS (Choice Based Credit System) लागू करने हेतु तैयार किये गए विनियम का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय :	**प्रारूप का अनुमोदन किया गया।**	
38	राज्यपाल सचिवालय से शोध के सम्बन्ध में प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पीएच.डी. कोर्सवर्क हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था, उसी प्रक्रिया के अनुसार 2016 के अभ्यर्थियों को निर्देशानुसार कोर्सवर्क का आयोजन करवाया गया। MPCET-2016 के अभ्यर्थियों को कोर्सवर्क की परीक्षा आयोजित होनी है तथा उनके परीक्षा आवेदन पत्र भी भरवाये जाने है। पीएच.डी. कोर्सवर्क एवं परीक्षा के आयोजन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया (संलग्न) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शोध
निर्णय :	**प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया।**	
39	विद्या परिषद की 16वीं बैठक दिनांक 27–07–2017 के विनिर्णय संख्या 11 में विश्वविद्यालय शोध आर्डिनेंस के परीक्षण हेतु विद्या परिषद द्वारा समिति का गठन करते हुए **समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया था।**	शोध
निर्णय :	**रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान करते हुए आर्डिनेंस के अनुमोदन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव